न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 315/2018

अनवान : –

1. बलवन्त पुत्र श्री नोरंगलाल जाति बावरी साकिन भगवान तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. चेतराम पुत्र नोरंगलाल जाति बावरी साकिन भगवान तहसील नोहर–फौत
   1/1. सीतो पत्नी चेतराम जाति बावरी निवासी भगवान
   1/2. धर्मपाल 1/3. बुधराम 1/4. शिशपाल 1/5. चन्द्रकला पि0 स्व0 चेतराम जाति बावरी साकिन भगवान।
2. हनुमान पुत्र नोरंगलाल जाति बावरी साकिन भगवान तहसील नोहर–फौत
   2/1. विधा देवी पत्नी स्वर्गीय हनुमान जाति बावरी साकिन भगवान
   2/2. मुखराम 2/2. बलराम 2/3. मोहनलाल 2/4. सन्तरो 2/5. कृष्णा पि0 हनुमान जाति बावरी निवासी भगवान तहसील नोहर।
3. रूकमा पत्नी स्व. नानूराम जाति बावरी साकिन भगवान तहसील नोहर।
4. राणी पुत्री नानूराम जाति बावरी साकिन भगवान तहसील नोहर।
5. जेतादेवी पुत्री नानूराम जाति बावरी साकिन भगवान तहसील नोहर।
6. पार्वती पुत्री नानूराम जाति बावरी साकिन भगवान तहसील नोहर।
7. मधाराम पुत्र नानूराम जाति बावरी साकिन भगवान तहसील नोहर।
8. शंकरलाल पुत्र नानूराम जाति बावरी साकिन भगवान तहसील नोहर।
9. फुलाराम पुत्र नानूराम जाति बावरी साकिन भगवान तहसील नोहर।
10. भागाराम पुत्र नानूराम जाति बावरी साकिन भगवान तहसील नोहर।
11. लिछमा पुत्री नोरंगलाल जाति बावरी साकिन भगवान तहसील नोहर।
12. आदराम पुत्र रामी पुत्र नोरंग जाति बावरी साकिन भगवान तहसील नोहर।
13. शिशपाल पुत्र रामी पुत्र नोरंग जाति बावरी साकिन भगवान तहसील नोहर।
14. गौरीशंकर पुत्र रामी पुत्र नोरंग जाति बावरी साकिन भगवान तहसील नोहर।
15. राप्रप्रताप पुत्र रामी पुत्र नोरंग जाति बावरी साकिन भगवान तहसील नोहर ।
16. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

<u>दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955</u>

उपस्थिति :– श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता **वादी**

पेरोकार राज

<u>निर्णय</u> दिनांक: 09/12/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा भगवान तहसील नोहर के ख0न0 547 की 11.6850 हैक्ट भूमि व ख0न0 548 की 7.9040 हैक्ट नानु, साहबराम, तुलछा व रामी के नाम दर्ज है।

मुस्सी नोरंग पुत्र कुम्भाराम जाति बावरी साकिन भगवान तहसील नोहर के पास ख0न0 547 की 11.6850 हैक्ट व ख0न0 548 की 7.9040 हैक्ट कुल 19.5890 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा तथा नोरंग पुत्र कुम्भाराम व उसकी धर्मपत्नी तुलछा के फौत होने के पश्चात् उसके हक व हिस्से की भूमि के हकदार वादी व प्रतिवादीगण हुए तथा वादी के [illegible] साहबराम पुत्र नोरंग के फौत होने के पश्चात उसके हक व हिस्सा के हकदार वादी व प्रतिवादीगण तथा रामी पुत्री नोरंग के फौत होने के पश्चात् उसके वारिसान प्रतिवादीगण सं. 12 ता 15 है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 12:14:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर
Rahul

वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 547 की 11.6850 हेक्टयर व खसरा नम्बर 548 की 7.9040 हेक्टयर कुल तादादी 19.5890 हेक्टयर में से 1/4 हिस्सा वाके रोही मौजा भगवान तहसील नोहर बाद वफौत नोरंग पुत्र कुम्भाराम जाति बावरी साकिन भगवान तहसील नोहर लड़के बलवन्त पुत्र नोरंग का नाम राजस्व रिकॉर्ड में राजस्व कर्मचारियों की गलती से दर्ज नही हो सका, जबकि वादी वादग्रस्त भूमि में नियमानुसार हक व हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है तथा वादी मृतक साहबराम व मृतक लिछमा का वारिस होने के कारण वादग्रस्त भूमि में अपना व हिस्सा घोषित करवा पाने का अधिकारी है। वादग्रस्त भूमि कुल तादादी 19.5890 हेक्टयर में से 1/4 हिस्सा वाके रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर जिसका पूरा विवरण अर्जीदावा की मद सं. 4 में दर्ज है में वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 15 मुश्तरका खातेदार काश्तकार है जिसमें वादी अकेला 1/24 हिस्सा का तथा प्रतिवादीगण नं. 1 व 2 दोनो बहिस्सा बराबर 2/24 हिस्सा के तथा प्रतिवादीगण नं. 3 ता 10 आठो बहिस्सा बराबर 1/24 हिस्सा के तथा प्रतिवादी नं. 11 अकेली 1/24 हिस्सा की तथा प्रतिवादीगण नं. 12 ता 15 चारो बहिस्सा बराबर 1/24 के मुश्तरका खातेदार काश्तकार है मगर हाल राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम दर्ज नही है जिससे वादी के खातेदारी हकूक का हनन होता है जिससे वादी अपने खातेदारी हकूक की घोषणा करवाने का करवान अधिकारी है तथा वादी वादग्रस्त भूमि में 1/24 हिस्सा का अपने आपका खोतेदार काश्तकार करवा पाने का मजाज है। वादग्रस्त भूमि वादी अकेला 1/24 हिस्सा व प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 दोनो 2224 हिस्सा के तथा प्रतिवादीगण नं. 3 ता 10 आठो बहिस्सा बराबर 1/24 हिस्सा तथा प्रतिवादी नं. 11 अकेली 1/24 हिस्सा की तथा प्रतिवादीगण नं. 12 ता 15 चारो बहिस्सा बराबर 1/24 हिस्सा के मुश्तरका खातेदार काश्तकार है मगर हाल राजस्व रिकॉर्ड में मृतक नानू, साहबराम, तुलछा, रामी का नाम दर्ज है जिससे वादी के खातेदारी हकूक का हनन होता है तथा वादी अपने खातेदारी हकूक की घोषणा करवा कर जमाबंदी दुरूस्त करवाकर उपरोक्तानुसार हक व हिस्सा के मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवा पाने का मजाज है तथा यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने [illegible] 15 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल [illegible] किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जा[illegible] संख्या 1/1 ता 15 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 16 पेरोकार राज ने जवाब [illegible] किया जो की शामिल मिसल किया गया एवं पक्षकारान द्वारा शपथ पत्र बाबत सहमति पत्र दिनांक 08.08.2017 पेश किया एवं वादी ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 12:14:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर
Rahul

वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम व पुरानी जमाबंदी व मृत्यु प्रमाण पत्र मृत्यु प्रमाण रामी देवी व सदस्य प्रमाण पत्र पेश किये जो की शामिल मिसल की गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 547 की 11.6850 हेक्टयर व खसरा नम्बर 548 की 7.9040 हेक्टयर कुल तादादी 19.5890 हेक्टयर में से 1/4 हिस्सा वाके रोही मौजा भगवान तहसील नोहर बाद वफौत नोरंग पुत्र कुम्भाराम जाति बावरी साकिन भगवान तहसील नोहर लड़के बलवन्त पुत्र नोरंग का नाम राजस्व रिकॉर्ड में राजस्व कर्मचारियों की गलती से दर्ज नही हो सका, जबकि वादी वादग्रस्त भूमि में नियमानुसार हक व हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है तथा वादी मृतक साहबराम व मृतक लिछमा का वारिस होने के कारण वादग्रस्त भूमि में अपना व हिस्सा घोषित करवा पाने का अधिकारी है। वादग्रस्त भूमि कुल तादादी 19.5890 हेक्टयर में से 1/4 हिस्सा वाके रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर मे है में वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 15 मुश्तरका खातेदार काश्तकार है जिसमें वादी अकेला 1/24 हिस्सा का तथा प्रतिवादीगण नं. 1 व 2 दोनो बहिस्सा बराबर 2/24 हिस्सा के तथा प्रतिवादीगण नं. 3 ता 10 आठो बहिस्सा बराबर 1/24 हिस्सा के तथा प्रतिवादी नं. 11 अकेली 1/24 हिस्सा की तथा प्रतिवादीगण नं. 12 ता 15 चारो बहिस्सा बराबर 1/24 के मुश्तरका खातेदार काश्तकार है मगर हाल राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम दर्ज नही है जिससे वादी के खातेदारी हकूक का हनन होता है जिससे वादी अपने खातेदारी हकूक की घोषणा करवाने का करवान अधिकारी है तथा वादी वादग्रस्त भूमि में 1/24 हिस्सा का अपने आपका खोतेदार काश्तकार करवा पाने का मजाज है। वादग्रस्त भूमि वादी अकेला 1/24 हिस्सा व प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 दोनो 2224 हिस्सा के तथा प्रतिवादीगण नं. 3 ता 10 आठो बहिस्सा बराबर 1/24 हिस्सा तथा प्रतिवादी नं. 11 अकेली 1/24 हिस्सा की तथा प्रतिवादीगण नं. 12 ता 15 चारो बहिस्सा बराबर 1/24 हिस्सा के मुश्तरका खातेदार काश्तकार है मगर हाल राजस्व रिकॉर्ड में मृतक नानू, साहबराम, तुलछा, रामी का नाम दर्ज है जिससे वादी के खातेदारी हकूक का हनन होता है तथा वादी अपने खातेदारी हकूक की घोषणा करवा कर जमाबंदी दुरूस्त की जावें। प्रतिवादी स0 1/1 ता 15 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राजकीय हितों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 12:14:59 IST
Reason: SelfAttested

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस को श्रवण किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा भगवान तहसील नोहर के ख0न0 547 की 11.6850 हैक्ट भूमि व ख0न0 548 की 7.9040 हैक्ट नानु, साहबराम, तुलछा

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

व रामी के नाम दर्ज है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के मुताबिक उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित है वादी द्वारा पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा रामी के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है वादी का कथन है कि वादग्रस्त भूमि कुल तादादी 19.5890 हेक्टयर में से 1/4 हिस्सा वाके रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर मे है में वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 15 मुश्तरका खातेदार काश्तकार है जिसमें वादी अकेला 1/24 हिस्सा का तथा प्रतिवादीगण नं. 1 व 2 दोनो बहिस्सा बराबर 2/24 हिस्सा के तथा प्रतिवादीगण नं. 3 ता 10 आठो बहिस्सा बराबर 1/24 हिस्सा के तथा प्रतिवादी नं. 11 अकेली 1/24 हिस्सा की तथा प्रतिवादीगण नं. 12 ता 15 चारो बहिस्सा बराबर 1/24 के मुश्तरका खातेदार काश्तकार है, वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हमें कोई ऐतराज नही है अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी स0 1/1 लगायत 15 की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भगवान तहसील नोहर के ख0न0 547 की 11.6850 हैक्ट भूमि व ख0न0 548 की 7.9040 हैक्ट कुल 19.5890 हैक्ट भूमि में मृतक नानु, साहबराम, तुलछा व रामी का नाम कलमजन किया जाकर वादी अकेला 1/24 हिस्सा का तथा प्रतिवादीगण नं. 1 व 2 दोनो बहिस्सा बराबर 2/24 हिस्सा के तथा प्रतिवादीगण नं. 3 ता 10 आठो बहिस्सा बराबर 1/24 हिस्सा के तथा प्रतिवादी नं. 11 अकेली 1/24 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण नं. 12 ता 15 चारो बहिस्सा बराबर 1/24 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 09/12/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 12:14:59 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 315/2018

अनवान : –

1. बलवन्त पुत्र श्री नोरंगलाल जाति बावरी साकिन भगवान तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. चेतराम पुत्र नोरंगलाल जाति बावरी साकिन भगवान तहसील नोहर–फौत
   1/1. सीतो पत्नी चेतराम जाति बावरी निवासी भगवान
   1/2. धर्मपाल 1/3. बुधराम 1/4. शिशपाल 1/5. चन्द्रकला पि0 स्व0 चेतराम जाति बावरी साकिन भगवान।
2. हनुमान पुत्र नोरंगलाल जाति बावरी साकिन भगवान तहसील नोहर–फौत
   2/1. विधा देवी पत्नी स्वर्गीय हनुमान जाति बावरी साकिन भगवान
   2/2. मुखराम 2/2. बलराम 2/3. मोहनलाल 2/4. सन्तरो 2/5. कृष्णा पि0 हनुमान जाति बावरी निवासी भगवान तहसील नोहर।
3. रूकमा पत्नी स्व. नानूराम जाति बावरी साकिन भगवान तहसील नोहर।
4. राणी पुत्री नानूराम जाति बावरी साकिन भगवान तहसील नोहर।
5. जेतादेवी पुत्री नानूराम जाति बावरी साकिन भगवान तहसील नोहर।
6. पार्वती पुत्री नानूराम जाति बावरी साकिन भगवान तहसील नोहर।
7. मधाराम पुत्र नानूराम जाति बावरी साकिन भगवान तहसील नोहर।
8. शंकरलाल पुत्र नानूराम जाति बावरी साकिन भगवान तहसील नोहर।
9. फुलाराम पुत्र नानूराम जाति बावरी साकिन भगवान तहसील नोहर।
10. भागाराम पुत्र नानूराम जाति बावरी साकिन भगवान तहसील नोहर।
11. लिछमा पुत्री नोरंगलाल जाति बावरी साकिन भगवान तहसील नोहर।
12. आदराम पुत्र रामी पुत्र नोरंग जाति बावरी साकिन भगवान तहसील नोहर।
13. शिशपाल पुत्र रामी पुत्र नोरंग जाति बावरी साकिन भगवान तहसील नोहर।
14. गौरीशंकर पुत्र रामी पुत्र नोरंग जाति बावरी साकिन भगवान तहसील नोहर।
15. राप्रप्रताप पुत्र रामी पुत्र नोरंग जाति बावरी साकिन भगवान तहसील नोहर ।
16. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 315 सन 2018 निर्णय दिनांक 09/12/25

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री विजयसिंह कड़वासरा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भगवान तहसील नोहर के ख0न0 547 की 11.6850 हैक्ट भूमि व ख0न0 548 की 7.9040 हैक्ट कुल 19.5890 हैक्ट भूमि में मृतक नानु, साहबराम, तुलछा व रामी का नाम कलमजन किया जाकर वादी अकेला 1/24 हिस्सा का तथा प्रतिवादीगण नं. 1 व 2 दोनो बहिस्सा बराबर 2/24 हिस्सा के तथा प्रतिवादीगण नं. 3 ता 10 आठो बहिस्सा बराबर 1/24 हिस्सा के तथा प्रतिवादी नं. 11 अकेली 1/24 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण नं. 12 ता 15 चारो बहिस्सा बराबर 1/24 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 09/12/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 12:14:59 IST
Reason: SelfAttested

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर